न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा

[स्थायी एवं से कुल प्रीम]

[... के आदेश सं० ४११६ बी० सा० १२-८-१२ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

(...)

विविध विभाग

SDR 08/18-19 रजिस्टर सं०

सुनीता टेटे बनाम ललित टेटे

		११-१०-१८		७/४/२२		२८-११-१८
				२६/४/२२		९-१-१९
				५/७/२२		१३-२-०१९
				२३/३/२२		१३-३-०१९
				०२/५/२२		१२-६-१९
				३/५/२२		३१-७-१९
				२१/०/२०२२		१८-९-१९
				९-५-२२		८-१-२०
				२३-९-२२		१२-२-२०
				११-११-२२		८-४-२०२०
				९-१२-२२		७/१/२०२१
				२४/१/२३		२८/०४/-२०२१
						२८/७/२०२१
						२७/१०/२०२१
						२९/१२/२०२१
						०१-२-२०२२
						८-३-२२

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

अनुसूची–14 फारम सं0 562 (विधि शाखा)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 .... से .... तक

जिला–सिमडेगा ....सन....................

केश का प्रकार SAR 08/18-19

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
11-10-2018	श्री सुनीता टेटे पिता/पति मनोज कुजूर साकिन खिजरी सामटोली थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया हैं कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी ललित टेटे, फुलमनी बरवा पति ललित टेटे, जेवियर टेटे पिता ललित टेटे, सलीमा टेटे पति जेवियर टेटे साकिन तेलमंगा थाना कोलेबिरा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने एवं कारण–पृक्षा दाखिल करने हेतु सम्मन निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28-11-18 को उपस्थापित करें। ग्राम: खिजरी; खाता सं0– 168; प्लॉट सं0 2420 – रकबा 0.02 डी.; 2297 – 0.02 डी.; कुल 0.04 डी. (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 08/2018–19
दिनांक 9.12.22

सुनीता टेटे
बनाम
ललित टेटे वगै0

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक सुनीता टेटे, पति–मनोज डुंगडुंग, साकिन–खिजरी सामटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी ललित टेटे, फूलमनी बरला, पति–ललित टेटे, जेवियर टेटे, पिता–ललित टेटे, सलीमा टेटे, पति–जेवियर टेटे, सभी साकिन–तलमंगा, थाना–बोलबा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–08/2018–19 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
खिजरी	168	2420	0.02 एकड़
		2297	0.02 एकड़
			कुल–0.04 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक–247/विधि, दिनांक 11.03.2022 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक–513, दिनांक 06.06.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार हैः–

1	आवेदित भूमि का सर्वे खतियान के मुताबिक खतियानी रैयत कौन है, तथा किस जाति का है। यदि खतियानी रैयत दूसरे व्यक्ति है तो आवेदक के साथ उनका क्या संबंध है।	शुखु उरांव वो होरू उरांव पेशरान घोंड़ी उरांव जाति उरांव संबंध (क्रेता विक्रेता)
2	प्रश्नगत् भूमि का अद्यतन जमाबंदी तथा अद्यतन लगान रसीद किसके नाम से निर्गत है। उनका नाम ब्यौरे के साथ दें।	सुनीता टेटे, पिता–श्री एमानुएल टेटे
3	अद्यतन जमाबंदी का आधार क्या है, तथा खतियानी रैयत से वर्त्तमान जमाबंदी रैयत को प्रश्नगत् भूमि किस प्रकार प्राप्त है।	खरीदगी पट्टा सं0–1025/2008–09 दा0खा0 वाद सं0–589R27/08-09
4	विपक्षी का प्रश्नगत् भूखण्ड पर किस प्रकार का कब्जा है।	निर्मित मकान में निवास कर रहे है।

कृ0पृ0उ0

CamScanner

5	विपक्षी का कितना भूमि पर कब्जा और कब से है।	0.04 एकड़ वर्ष–2018 से
6	विपक्षी के द्वारा मकान कुँआ बनाया गया है, या कोई विकास कार्य किया गया है तो उसका पूरा ब्यौरा दें, जैसेः– (क) मकान कब से बना है, कच्चा है या पक्का तथा कितनी भूमि पर अवस्थित है। (ख) उसकी अनुमानित लागत क्या है। (ग) कुआं है तो कब से बना है, उसकी अनुमानित लागत क्या है।	पूर्व से कच्चा मकान निर्मित है। 0.02½ एकड़ 300000/–(तीन लाख रूपये)

7. <u>विवादित जमीन की विवरणीः–</u>

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
खिजरी/105	168	2420 2297	0.02 एकड़ 0.02 एकड़	उ0 –प्रताप लकड़ा का टांड़ द0 – सुनील खेस्स का टांड़ पू0 – रास्ता पी0सी0सी0 प0 – अंधरियस खेस्स का मकान

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। लेकिन उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–08/2018–19 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 11:51:19 +05:30
Location: 192.168.188.80

CS CamScanner